[11/3/2025]

प्रकरण सं. [क. 302]

कार्यालय ग्राम पंचायत कदवालिया (खोड़ी)

जनपद पंचायत, बड़वाह जिला-खरगोन म.प्र.

(1) से (10)

दि० 22/11/24

माननीय न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय,जिला खरगोन के समक्ष

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,खरगोन(म.प्र.)

26 NOV 2024

शाखा- पं० प्रको०

म.परि./परि.अधि. मु.का.अधि.

द्वारा-ग्राम पंचायत, कदवालिया, (खोड़ी) [illegible] पटेल पिता, [illegible] .... प्रार्थी

सचिव-ग्राम पंचायत, कदवालिया, (खोड़ी) [illegible] पिता [illegible] .... प्रार्थी

ASSOCIATE ALCHOHAL AND BREWERIES LTD
KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE .... प्रत्यर्थी

7657
26/11/24

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा –81के तहत आवेदन प्रस्तुत है– प्रार्थीगण कि ओर से सादर निवेदन है कि – ग्राम पंचायत कदवालिया, (खोड़ी मे ASSOCIATE ALCHOHAL AND BREWERIES LTD KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE को बकाया सम्पत्ति कर जमा करने हेतु म.प्र. ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 भाग– दो, भूमि तथा भवन पर सम्पत्ति कर (5) भवन पर सम्पत्ति कर की दर– अधिनियम की अनुसूचि 1– क कि मद (1) तथा धारा 77–क के तहत दो सप्ताह के भीतर बकाया सम्पत्ति कर राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र, डिमांड नोटिस प्रेषित किया गया था। किन्तु उक्त प्रतिष्ठान के द्वारा बकाया सम्पत्ति कर जमा नहीं करवाया गया जिस हेतु म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा –81 में प्रावधान है कि– इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर की कोई रकम कलेक्टर के द्वारा इस प्रकार वसूल की जायेगी मानो वह भू राजस्व की बकाया हो। माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रावधान के तहत आर.आर.सी ग्राम पंचायत कदवालिया, (खोड़ी के पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रकरण तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण के प्रमुख तथ्य

यह कि संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 भाग नौ-पंचायते 243–ज–पंचायतो द्वारा करारोपण की शक्तियां और निधियां– (क) किसी पंचायत को ऐसे करों,शुल्कों, पथकरों, और फिसों के उदग्रहण, संग्रहण, और विनियोग के लिये ऐसी प्रकिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन प्राधिकृत कर सकता है।

5316
25-11-24

यह कि म.प्र ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 भाग– दोभूमि तथा भवन पर सम्पत्ति कर (5) भवन पर सम्पत्ति कर की दर– अधिनियम की अनुसूचि 1– क कि मद (1) तथा धारा 77–क की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा नियम 3 में विहित कि गई प्रकिया का अनुसरण करने के पश्चात प्रत्येक ग्राम सभा, भूमि या भवन दोनो पर, भवन तथा भूमि के पूंजी मूल्य पर आधारित ऐसी कर से दर अधिरोपित करेगी, जैसी उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए और जो प्रथम अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम दर से कम और अधिकतम दर से अधिक नहीं होगी

नियम 5–कर किसके द्वारा देय होगा– कर उस भवन के स्वामी के द्वारा देय होगा, जिस पर वह निर्धारित किया जाऐ।

कार्यालय जिला कलेक्टर
प.निमाड़ (खरगोन) म.प्र.
शाखा- CEO
25 NOV 2024
सत्र. अधीक्षक

निरन्तर–2

सरपंच
ग्राम पंचायत कदवालिया

(2)

प्रथम–अनुसूचि

(नियम 5 देखिए)

भूमि तथा भवन पर कर की दर

क.	विवरण	न्यूनतम (1)	अधिकतम (2)
1	उन भवनों पर, जिनका पूंजी मूल्य 6000 रू से अधिक किन्तु 12000 रू .से अधिक न हो	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 100 रू या उसके किसी भाग पर 20 पैसे	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 100 रू या उसके किसी भाग पर 30 पैसे
2	12000 रू .से अधिक पूंजी मूल्य के भवनों पर कर	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 500 रू या उसके किसी भाग पर 1 रूपया	पूंजी मूल्य के प्रत्येक 500 रू या उसके किसी भाग पर 1.50रू

उक्त नियमों के अनुसार गणना उपरान्त उक्त प्रतिष्ठान का 03 वर्षों का सम्पत्ति कर राशि रूपये 40468757– (अक्षरी रूपये चार करोड़ चार लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र)ग्राम पंचायत का बकाया है।

यह कि समस्त नियमों एवं विधि अनुसार प्रकिया का पालन करते हुए बकाया सम्पत्तिकर की राशि ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा किए जाने हेतू उक्त प्रतिष्ठान को कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक 150/पंचा/2024/ दिनांक 13.09.2024 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विधिवत सूचित कर की राशि कार्यालय ग्राम पंचायत के खाते में यदि जमा कराई गई हो तो उसकी पावती रसीद कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु 15 दिवस की समयावधि दी गई थी। उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात भी संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रदान नहीं दिये जाने पर, ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार सम्पत्ति कर कि गणना करते हुए कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक 162/पंचा/2024/ दिनांक 07..10.2024 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बकाया सम्पत्ति कर कि राशि जमा कराये जाने हेतु डिमांड नोटिस दिया गया था।उक्त मांग पत्र दिये जाने के उपरान्त भी राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं कि गई है।

इस ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया बिल विधिवत भुगतान किये जाने योग्य है। यह कि उक्त प्रतिष्ठान को सूचना पत्र तामिली हो जाने के उपरान्त भी प्रतिष्ठान के द्वारा बकाया सम्पत्ति कर राशि का भूगतान नहीं किया जाना उक्त म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के उपबंघों के विपरीत है।प्रतिष्ठान को जारी सूचना पत्र, डिमांड नोटिस की छायाप्रति परिशिष्ठ– 1एवं 02 में संलग्न है।

प्रकरण में विशेष तथ्य यह है कि प्रतिष्ठान के द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त हो जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस को म.प्र पंचायत (कराधान के विरूध्द अपीलों की रीति तथा परिसीमा) नियम, 1995 के उपबन्धों के अधीन सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

यह कि उक्त प्रतिष्ठान को सूचना पत्र तामिली हो जाने एवं बकाया सम्पत्ति कर राशि का भुगतान नहीं किया जाने तथा अधिरोपित कर के विरूध्द कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं किये जानें के फल स्वरूप सदर याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पड़ा है।

प्रकरण के प्रमुख आधार

F. यह कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 (3) –विधि के प्राधिकार के अधीन अधिरोपित किया गया कोई कर अधिरोपित करती है तो, उसका उद्देश्य जन कल्याण के कार्यों के लिए निधि प्राप्त करना होता है और किसी भी कर का अधिरोपण प्राधिकारी के अधीन होने पर जनहीत में होता है।

निरन्तर–3

सरपच

G. यह कि म.प्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा --81 में प्रावधान है कि- इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर की कोई रकम कलेक्टर के द्वारा इस प्रकार वसूल की जावेगी मानो वह भू राजस्व की बकाया हो।

H. यह कि म.प्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा --82 में प्रावधान है कि- जब कोई व्यक्ति किसी कर, फीस, दर या किसी अन्य शोध्य रकम का संदाय करने में चूक करता है तो, वह बकाया की रकम के अतिरिक्त शास्ति के तौर पर पाँच सौ रुपये की या ऐसे कर, फीस, दर की रकम की, या अन्य किसी शोध्य रकम कि जो भी अधिकतर हो, दस गुना राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा।

I. यह कि मध्यप्रदेश पंचायत (करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण, तथा विनियमन) नियम,1996 6-करों के लिए बिल प्रस्तुत करना.-

(5)जब किसी अधिरोपित कर के मद्धे कोई रकम देय हो, तो यथास्थिति, ग्राम पंचायत का सचिव या जनपद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जैसी भी कि दशा हो, व्यवहार्य विलम्ब के बिना ऐसी दावा की गई शोध्य रकम के लिए बिल का भुगतान करने के लिए दायी किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।

(6)ऐसे प्रत्येक बिल में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगाः-

(क) वह कालावधि जिसके लिए, और

(ख) वह सम्पत्ति, व्यवसाय अथवा वस्तु जिसके संबंध में, राशि का दावा किया गया है और निम्नलिखित की सूचना भी देगाः-

(1)भुगतान के व्यतिक्रम में उद्भूत दायित्व, तथा

(2)समय जिसके भीतर ऐसे दावे के विरुद्ध कोई आपत्ति उठाई जा सकेगी।

नियम–7 यदि बिल का भुगतान 15 दिनों के भीतर न किया जाए तो मांग सूचना का जारी करना.– यदि उस राशि का जिसके लिए उपरोक्तानुसार बिल प्रस्तुत किया गया है, भुगतान न किया जाए या बिल के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति न ली गई हो तो यथास्थिति, ग्राम पंचायत का सचिव या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया हो, उपविधियों द्वारा विहित प्ररूप में मॉग सूचना भेजेगा।

J मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /630/पंग्रा.वि.वि./2022 भोपाल दिनांक 28.06.2022 में कलेक्टर जिला–समस्त म.प्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–समस्त म.प्र को पंचायत क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण एवं कर संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देशितकिया गया है। परिशिष्ठ 3

K मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन का पत्र कमांक 5234/पंचा.प्रको/2024 खरगोन दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से भी संपत्ति कर निर्धारण एवं कर संकलन के लिए प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। परिशिष्ठ 4

यह कि उक्त प्रतिष्ठान से 03 वर्षों का सम्पत्ति कर राशि रूपये 40468757– (अक्षरी रूपये चार करोड़ चार लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र)मात्र बकाया सम्पत्ति कर के वसूली हेतु आर.आर. सी. का जारी किया जाना न्याय हित में समीचीन है।

यह कि सदर आवेदन पत्र, माननीय न्यायालय के श्रवण अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना

यह कि श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि ASSOCIATE ALCHOHAL AND BREWERIES LTD KHODI GRAM BARWAH DIST KHARGONE से बकाया सम्पत्ति कर राशि रूपये 40468757– (अक्षरी रूपये चार करोड़ चार लाख अड़सठ हजार सात सौ सत्तावन मात्र)) मात्र की वसूली हेतु ग्राम पंचायत कदवालिया, (खोड़ी) के पक्ष में आर.आर.सी. जारी करने का कष्ट करेंगें।

सरपंच

ग्राम पंचायत कदवालिया